


आदेश

जिलाधिकारी, देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या 579/12ए-49/डी0एल0आर0सी-(2023-2026) दिनांक 31 जनवरी, 2026 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (NHAI) (स्पर) भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 20.600 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के सापेक्ष कुल रकबा 40.0000 हे० भूमि सिविल सोयम भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित की गयी है।


उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये जनपद देहरादून तहसील देहरादून के ग्राम छमरोली के खाता सं० 00080 के खसरा नं० 283 रकबा 25.4000हे० में से 15.0000हे० भूमि सिविल सोयम भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित की जाती है। शेष आदेश यथावत रहेगा।


(अपूर्वा सिंह),
प्रभारी अधिकारी/
कृते जिलाधिकारी, देहरादून।

।।कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।।

E-Mail ID-dehradundm@gmail.com.Phone-0135-2722389/Fax/-2720025

- संख्या:- 594 /12ए-49/डी0एल0आर0सी-(2023-2026) दिनांक 20 फरवरी, 2026
- प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
 - 2- सचिव, वन विभाग उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
 - 5- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
 - 6- प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 - 7- उप जिलाधिकारी, सदर को इस आशय के साथ कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा याचक विभाग को हस्तगत करते हुए अमलदरामद की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
 - 8- महाप्रबन्धक (तक०) सह परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बसन्त विहार, देहरादून, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - 9- कार्यालय प्रति।


(अपूर्वा सिंह),
प्रभारी अधिकारी/
कृते जिलाधिकारी, देहरादून।

॥ आदेश ॥

उप महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक, प0का0ई0-वसन्त विहार देहरादून, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यालय पत्र संख्या 10621 दिनांक 21.01.2026 के द्वारा कार्यालय पत्रांक 6515 दिनांक 01.05.2024 के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (NHAI) (स्पर) भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 20.600 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के सापेक्ष कुल रकबा 40.0000 हे० सिविल सोयम भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के कम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1162/डी0एल0आर0सी0-2025 दिनांक 31 जुलाई, 2025 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर वन विभाग के साथ संयुक्त जांच कर आख्या/प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराये जाने हेतु उप जिलाधिकारी, सदर को पत्र प्रेषित किया गया। उप जिलाधिकारी, सदर, देहरादून द्वारा अपनी आख्या दिनांक 17.11.2025 में उल्लेख किया गया है कि प्रकरण के सम्बन्ध में ग्राम मकडेती, छमरोली एवं द्वारा में राजस्व विभाग की ओर से क्षेत्रीय रा0उ0नि0, वन विभाग की ओर से क्षेत्रीय वन बीट अधिकारी व उपवन क्षेत्राधिकारी रायपुर रेन्ज/क्षेत्रीय वन दरोगा मसूरी रेन्ज एवं भा0रा0रा0प्रा0 की आरे से डी0पी0आर0 कन्सल्टेन्ट के स्थल अभियन्ता, भा0रा0रा0प्रा0 के नायब तहसीलदार एवं स्थल अभियन्ता द्वारा संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया। वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी भूमि का विवरण निम्नानुसार है-

क्र०सं०	ग्राम का नाम	खसरा सं०	वानिकी प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि		विवरण
			जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में हस्तान्तरित भूमि का क्षेत्र है०	उपयुक्त भूमि का क्षेत्र है० में	
01	छमरोली	283	25.4000	15.0000	श्रेणी 5-3-ख/ऐसे वन जिसमें अन्य प्रकार के वृक्ष, झाड़ियों के झुण्ड, झाड़ियों इत्यादि हो
योग			25.4000	15.0000	
02	मकडेती	5क	3.0920	-	श्रेणी 6-4/जो अन्य कारणों से अकृषिक हो एवं श्रेणी 5-3-ख-1/जो वन विभाग के प्रबन्ध में हो
		5ड	2.3050	0.9670	
		21	0.1650	-	
		167घ	5.5110	5.4710	
		168	0.4600	0.4600	
		170ख	1.0790	1.0790	
		182/4क	2.0230	2.0230	
योग			14.6350	10.0000	
03	द्वारा	909	3.8300	3.8300	श्रेणी 5-3-ख-2/गांव समाजो में निहित
		2092क	5.9380	5.9380	
		2091	0.1740	0.1740	
		607	1.3510	1.0580	
		614मि	4.1810	4.0000	
योग			15.4740	15.0000	
कुल योग			55.5090	40.0000	

उप जिलाधिकारी, सदर से उपरोक्तानुसार प्राप्त आख्या/प्रस्ताव दिनांक 17.11.2025 एवं उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के पत्र दिनांक 28.01.2026 के कम में पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या 206/12ए-09 (2023-2026) डी0एल0आर0सी0 दिनांक 13 जून 2024 को निरस्त करते हुये शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002, शासनादेश संख्या-111/XXVII(7) /50(39)-2015/2014 दिनांक 09 जुलाई 2015, शासनादेश संख्या-1887/XVIII(II)/2015.18(169)/2015 दिनांक 30 जुलाई 2015, शासनादेश संख्या-496/XVIII (II)/2020-08 (63)/2016 दिनांक 28 जुलाई 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार/शर्तानुसार ग्राम जनपद



देहरादून तहसील देहरादून के ग्राम छमरोली के खाता सं० 00080 के खसरा नम्बर 283 रकबा 25.4000 है०, ग्राम मकडेती के खाता संख्या 00057, ख०न० 5इ रकबा 2.3050 है० में से रकबा 0.9670 है०, ख०न० 167घ रकबा 5.5110 है० में से रकबा 5.4710 है०, ख०न० 168 रकबा 0.4600 है०, ख०न० 170ख रकबा 1.0790 है०, एवं खाता संख्या 00049 के खसरा नं० 182/4क रकबा 2.0230 है०, ग्राम द्वारा के खाता संख्या 00345, खसरा नम्बर 909 रकबा 3.8300 है०, ख०न० 2092क रकबा 5.9380 है०, ख०न० 2091 रकबा 0.1740 है०, ख०न० 607 रकबा 1.3510 है० में से 1.0580 है० एवं ख०न० 614मि रकबा 4.1810 है० में से 4.0000 है० कुल रकबा 40.0000 है० भूमि उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (NHAI) (स्पर) भानियावाला- जौलीग्रान्ट - ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 20.600 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार हस्तान्तरित किया जाना है:-

- 1- भूमि का हस्तांतरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा। वन मामलों में भूमि के नजराना मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- 2- उपरोक्त प्रस्तावित जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण की जा रही है, वह एक अनुमोदित परियोजना है और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका है, तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, जितना कार्य विशेष के लिए आवश्यक है।
- 3- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नहीं होनी चाहिए।
- 4- हस्तांतरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है तो याचक विभाग द्वारा पुनः आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि हस्तांतरित भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षों तक हस्तांतरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग (राजस्व विभाग) को वापस करना होगा।
- 5- यह आदेश मा० उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा तथा याचक विभाग को निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- 6- उत्तराखण्ड राज्य में स्थित सरकारी भूमि उक्त प्रयोजन हेतु निःशुल्क भूमि हस्तांतरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि पर जिस राजकीय विभाग का स्वामित्व है, उसकी सहमति/अनापत्ति लिखित रूप से प्राप्त कर ली जाये।


उपरोक्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

ह०/-
(सविन बंसल),
जिलाधिकारी,
देहरादून।



।।कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।।

E-Mail ID-dehradundm@gmail.com.Phone-0135-2722389/Fax/-2720025

- संख्या:- 579 / 12ए-49 / डी०एल०आर०सी-(2023-2026) दिनांक 31 जनवरी, 2026
- प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
 - 2- सचिव, वन विभाग उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
 - 5- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
 - 6- प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 - 7- उप जिलाधिकारी, सदर को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा याचक विभाग को हस्तगत करते हुए अमलदरामद की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे।
 - 8- महाप्रबन्धक (तक०) सह परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बसन्त विहार, देहरादून, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - 9- कार्यालय प्रति।


(अपूर्वा सिंह),
प्रभारी अधिकारी/
कृते जिलाधिकारी, देहरादून।

MAP SHOWING SURVEY OF INDIA TOPOSHEET MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND
Project Name :- Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.
Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021



Total CA Land Area - 40.00 Ha.

Proposed CA Land Area: 15.00 ha.

Village Chhamroli Khasra-No.283

CA Land Coordinates		
Sr.No.	Longitude	Latitude
1	78°10' 8.956" E	30°23' 6.916" N
2	78°10' 11.028" E	30°23' 17.472" N
3	78°10' 14.901" E	30°23' 24.978" N
4	78°10' 19.714" E	30°23' 21.028" N
5	78°10' 22.893" E	30°23' 18.514" N
6	78°10' 16.134" E	30°23' 14.835" N
7	78°10' 18.653" E	30°23' 11.091" N
8	78°10' 21.270" E	30°23' 8.676" N
9	78°10' 18.236" E	30°23' 4.487" N
10	78°10' 14.477" E	30°23' 2.396" N

PART OF SOI TOPOSHEET NO.: 531/3

Legend

- CA Land Coordinate Point
- National Highways Authority of India (सड़क परिवहन निगम, भारत सरकार)
- Ministry of Road Transport & Highways

परियोजना निदेशक / Project Director
 राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 National Highways Authority of India
 (सड़क परिवहन निगम, भारत सरकार)
 Ministry of Road Transport & Highways

SCALE: 1:50000

उप प्रभागीय वनाधिकारी (देहरादून) 78°2'39"E प्रभागीय वनाधिकारी 78°4'30"E

78°8'12"E 78°10'3"E 78°11'54"E

78°6'21"E

(Handwritten signatures and stamps)

MAP SHOWING SURVEY OF INDIA TOPOSHEET MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND

Project Name :- Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand,

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021



78°2'39"E 78°4'30"E 78°6'21"E 78°8'12"E 78°10'3"E 78°11'54"E

30°26'40"N

30°25'0"N


30°23'20"N

30°21'40"N

30°25'0"N

30°23'20"N

30°21'40"N




Village - Makhdeti
Khara No. - 5K, 5 ANH, 21,167 GH,168,170 KH & 182/4 KH

Total CA Land Area - 40.00 Ha.

Proposed CA Land Area: 10.00 ha.

Sr.No.	Longitude	Latitude
1	78° 5' 42.309" E	30° 24' 19.457" N
2	78° 5' 38.883" E	30° 24' 21.949" N
3	78° 5' 44.976" E	30° 24' 30.452" N
4	78° 5' 47.793" E	30° 24' 28.844" N
5	78° 5' 46.375" E	30° 24' 27.081" N
6	78° 5' 49.034" E	30° 24' 26.454" N
7	78° 5' 49.700" E	30° 24' 23.417" N
8	78° 5' 49.878" E	30° 24' 20.095" N
9	78° 5' 53.970" E	30° 24' 13.550" N
10	78° 5' 47.755" E	30° 24' 14.536" N
11	78° 5' 42.007" E	30° 24' 16.692" N
12	78° 5' 46.091" E	30° 24' 21.572" N
13	78° 5' 45.336" E	30° 24' 23.562" N



PART OF SOL TOPOSHEET NO.: 531/3

Legend

- CA Band Coordinate Point
- Proposed CA Land

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार
Ministry of Road Transport & Highways

उप प्रभोगीय अधिकारी
(विहारवाला)
मसूरी प्रान्त प्रभाग मसूरी


रामेश्वर कानून
78°8'12"E

78°2'39"E 78°4'30"E 78°6'21"E 78°8'12"E 78°10'3"E

MAP SHOWING SURVEY OF INDIA TOPOSHEET MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND

Project Name :- Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021



Total CA Land Area - 40.0 Ha.

Village - Dwara
Khara No. - 614 and 607

Village - Dwara
Khara No. - 2092K, 2091, 909, 614 & 607

Proposed CA Land Area: 5.0 ha.

Proposed CA Land Area: 10.0 ha.

CA LAND COORDINATES (10.0 ha)		
S.No.	Latitude	Longitude
1	30° 19' 4.814" N	78° 9' 25.890" E
2	30° 19' 1.815" N	78° 9' 27.038" E
3	30° 18' 58.885" N	78° 9' 27.321" E
4	30° 18' 57.149" N	78° 9' 25.299" E
5	30° 18' 51.666" N	78° 9' 29.344" E
6	30° 18' 46.884" N	78° 9' 28.741" E
7	30° 18' 46.928" N	78° 9' 26.397" E
8	30° 18' 50.805" N	78° 9' 20.094" E
9	30° 18' 53.066" N	78° 9' 19.094" E
10	30° 18' 57.500" N	78° 9' 19.198" E
11	30° 19' 2.391" N	78° 9' 21.257" E

CA LAND COORDINATES (5.0 ha)		
S.No.	Latitude	Longitude
1	30° 19' 30.565" N	78° 8' 14.457" E
2	30° 19' 32.594" N	78° 8' 16.944" E
3	30° 19' 31.696" N	78° 8' 19.511" E
4	30° 19' 32.773" N	78° 8' 21.821" E
5	30° 19' 28.294" N	78° 8' 27.731" E
6	30° 19' 26.344" N	78° 8' 27.758" E
7	30° 19' 24.108" N	78° 8' 24.403" E
8	30° 19' 28.131" N	78° 8' 17.198" E

PART OF SOI TOPOSHEET NO.: 53J/3

Legend

- CA Land Coordinate Point
- Proposed CA Land


परियोजना निदेशक / Project Director
 राष्ट्रीय उच्चमार्ग प्राधिकरण
 National Highways Authority of India
 मंत्रालय, भारत सरकार
 Ministry of Road Transport & Highways

उप प्रमार्गीय वनाधिकारी
(देहरादून)
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी


परियोजना निदेशक / Project Director

22/11/21


MAP SHOWING DIGITAL MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND WITH COORDINATES
 Project Name :- Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.
 Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021



Total CA Land
Area - 40.00 Ha.



CA Land Coordinates		
Sr.No.	Longitude	Latitude
1	78°10' 8.956" E	30°23' 6.916" N
2	78°10' 11.028" E	30°23' 17.472" N
3	78°10' 14.901" E	30°23' 24.978" N
4	78°10' 19.714" E	30°23' 21.028" N
5	78°10' 22.893" E	30°23' 18.514" N
6	78°10' 16.134" E	30°23' 14.835" N
7	78°10' 18.653" E	30°23' 11.091" N
8	78°10' 21.270" E	30°23' 8.676" N
9	78°10' 18.236" E	30°23' 4.487" N
10	78°10' 14.477" E	30°23' 2.396" N



उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देहरादून)
मसूरी वन प्रभाग मसूरी

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पौ-आइ-०५०-बसन्त विहार, देहरादून



Legend	
	CA Land Coordinate Point
	Proposed CA Land

[Handwritten signature]
78°10'25"E

[Handwritten signature]
78°10'25"E

[Handwritten signature]
78°10'25"E

78°9'35"E

78°10'50"E

30°23'30"N

30°23'15"N

30°23'0"N

30°23'30"N

30°23'15"N

30°23'0"N

30°22'45"N

MAP SHOWING DIGITAL MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND WITH COORDINATES

Project Name :- Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021




78°5'30"E

78°6'0"E

78°6'30"E

Total CA Land Area - 40.00 Ha.

Village - Makhdeti
Khara No. - 5K, 5 ANH, 21,167 GH, 168,170 KH & 182/4 KH




Sr.No.	Longitude	Latitude
1	78° 5' 42.309" E	30° 24' 19.457" N
2	78° 5' 38.883" E	30° 24' 21.949" N
3	78° 5' 44.976" E	30° 24' 30.452" N
4	78° 5' 47.793" E	30° 24' 28.844" N
5	78° 5' 46.375" E	30° 24' 27.081" N
6	78° 5' 49.034" E	30° 24' 26.454" N
7	78° 5' 49.700" E	30° 24' 23.417" N
8	78° 5' 49.878" E	30° 24' 20.095" N
9	78° 5' 53.970" E	30° 24' 13.550" N
10	78° 5' 47.755" E	30° 24' 14.536" N
11	78° 5' 42.007" E	30° 24' 16.692" N
12	78° 5' 46.091" E	30° 24' 21.572" N
13	78° 5' 45.336" E	30° 24' 23.562" N

Proposed CA Land Area: 10.00 ha.

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देहरादून)
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Sr.No.	Longitude	Latitude
1	78° 5' 42.309" E	30° 24' 19.457" N
2	78° 5' 38.883" E	30° 24' 21.949" N
3	78° 5' 44.976" E	30° 24' 30.452" N
4	78° 5' 47.793" E	30° 24' 28.844" N
5	78° 5' 46.375" E	30° 24' 27.081" N
6	78° 5' 49.034" E	30° 24' 26.454" N
7	78° 5' 49.700" E	30° 24' 23.417" N
8	78° 5' 49.878" E	30° 24' 20.095" N
9	78° 5' 53.970" E	30° 24' 13.550" N
10	78° 5' 47.755" E	30° 24' 14.536" N
11	78° 5' 42.007" E	30° 24' 16.692" N
12	78° 5' 46.091" E	30° 24' 21.572" N
13	78° 5' 45.336" E	30° 24' 23.562" N



परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पि०आइ०एन०-बमन विहार, देहरादून

Legend

- CA Land Coordinate Point
- Proposed CA Land

78°5'0"E

78°5'30"E

78°6'0"E

78°6'30"E

30°24'30"N
30°24'15"N
30°24'0"N

30°24'30"N
30°24'15"N
30°24'0"N

मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

समस्त वन अधिकारी
वन विभाग

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी

MAP SHOWING DIGITAL MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND WITH COORDINATES
 Project Name :- Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.
 Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021




78°8'0"E 78°8'20"E 78°8'40"E 78°9'0"E 78°9'20"E 78°9'40"E

Total CA Land Area - 40.0 Ha.


30°19'40"N
30°19'20"N
30°19'0"N
30°18'40"N

30°19'40"N
30°19'20"N
30°19'0"N
30°18'40"N



CA LAND COORDINATES (5.0 ha)		
S.No.	Latitude	Longitude
1	30° 19' 30.565"N	78° 8' 14.457" E
2	30° 19' 32.594"N	78° 8' 16.944" E
3	30° 19' 31.696"N	78° 8' 19.511" E
4	30° 19' 32.773"N	78° 8' 21.821" E
5	30° 19' 28.294"N	78° 8' 27.731" E
6	30° 19' 26.344"N	78° 8' 27.758" E
7	30° 19' 24.108"N	78° 8' 24.403" E
8	30° 19' 28.131"N	78° 8' 17.198" E


CA LAND COORDINATES (10.0 ha)		
S.No.	Latitude	Longitude
1	30° 19' 4.814" N	78° 9' 25.890" E
2	30° 19' 1.815" N	78° 9' 27.038" E
3	30° 18' 58.885" N	78° 9' 27.321" E
4	30° 18' 57.149" N	78° 9' 25.299" E
5	30° 18' 51.666" N	78° 9' 29.344" E
6	30° 18' 46.884" N	78° 9' 28.741" E
7	30° 18' 46.928" N	78° 9' 26.397" E
8	30° 18' 50.805" N	78° 9' 20.094" E
9	30° 18' 53.066" N	78° 9' 19.094" E
10	30° 18' 57.500" N	78° 9' 19.198" E
11	30° 19' 2.391" N	78° 9' 21.257" E



उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देहरादून)
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Legend

- CA Land Coordinate Point
- Proposed CA Land




परियोजना निदेशक / Project Director
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 National Highways Authority of India
 (सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
 Ministry of Road Transport & Highways
 प्लॉट आइडेंटिफिकेशन वन प्रभाग, देहरादून

रायपुर रेंज
 मसूरी वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देहरादून)
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

78°8'0"E 78°8'20"E 78°9'0"E 78°9'20"E 78°9'40"E

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (स्पर) भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से 20.600 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण छमरोली ग्राम के खसरा 283 में 15.0000 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित।




Handwritten signatures and text:
 R.O (m)
 शोधन
 सराना

Handwritten text:
 प्रो. जयशंकर
 वन विभाग
 सि. ल. प्रभाग

परियोजना निदेशक / Project Director
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 National Highways Authority of India
 (सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
 Ministry of Road Transport & Highways
 पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

Handwritten signatures and text:
 प्रभागीय वनाधिकारी
 मसूरी वन प्रभाग
 मसूरी

DSS Report



Shr
R.O.M / सिल्वर इंजीनियर
9058
10/30/20
सर्वीस

परियोजना निदेशक / Project Director
 भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 National Highways Authority of India
 (सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
 Ministry of Road Transport & Highways
 प्लॉट नं० ३००-बसन्त विहार, देहरादून

अ
 उप प्रभागीय वनाधिकारी
 मसूरी वन प्रभाग (देहरादून)

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (स्पर) भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से 20.600 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण मखड़ेती ग्राम के खसरा 5क, 5ड़, 21, 167घ, 168, 170ख, 182/4ख में 10.0000 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित।




परियोजना निदेशक / Project Director
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 National Highways Authority of India
 (सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
 Ministry of Road Transport & Highways

रवि शंकर धानिया
 उप प्रभारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
 (देहरादून)
 मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

DSS Report



(Handwritten signature)
वन परियोजना
राजपुर अ नुभाग

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट आइड 000-बसन्त विहार, देहरादून

(Handwritten signature)
वन क्षेत्राधिकारी
राजपुर चैत

(Handwritten signature)
रवि वर्मा शांतिना
राजपुर उप निरीक्षक

(Handwritten signature)
प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

(Handwritten signature)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देहरादून)
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (स्पर) भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से 20.600 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण द्वारा ग्राम के खसरा 2092क, 2091, 909, 614 एवं 607 में 10.0000 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित।



(Handwritten signature)
 (वी०डी०ओ०सी)
 30278

(Handwritten signature)
 वन क्षेत्राधिकारी
 रायपुर रेंज
 मसूरी वन प्रभाग

(Handwritten signature)
 परियोजना निदेशक / Project Director
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 National Highways Authority of India
 (सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
 Ministry of Road Transport & Highways
 - गार्डरोड-वसन्त विहार, देहरादून

(Handwritten signature)

उप प्रभाषीय वेनाधिकारी
 (देहरादून)
 मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

(Handwritten signature)
 वेनाधिकारी,
 वन प्रभाग
 मसूरी

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (स्पर) भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से 20.600 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण द्वारा ग्राम के खसरा 614 एवं 607 में 5.0000 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित।



(Handwritten signature)
3220

(Handwritten signature)
वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
मसूरी वन प्रभाग

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प०आइ०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

(Handwritten signature)
20/08/20

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देहरादून)
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

DSS Report



Handwritten signature and text: 322

परियोजना निदेशक/Project Director
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 National Highways Authority of India
 (सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
 Ministry of Road Transport & Highways
 प्लॉट नं. 01/00-विवन्त बिहार, देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
 रासधर रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी,
 मसूरी वन प्रभाग
 मसूरी


Handwritten signature and text: 27/03/20

उप प्रभागीय वनाधिकारी
 (देहरादून)
 मसूरी वन प्रभाग, मसूरी


उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

योजना का नाम—I—उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला—जौलीग्रान्ट—ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण तथा II—उत्तराखण्ड राज्य के रा०रा०—73 (झाझरा के पास) को दिल्ली— देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोडी सैक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड़ का विकास कि०मी० 0.050 से कि०मी० 12.220 तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या— 7 (स्पर) के भानियावाला जौलीग्रान्ट, ऋषिकेश. कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक चार लेन चौड़ीकरण/सुदृढीकरण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित योजना के अधीन 39.6690 हे० वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप मसूरी रेंज के अधीन ग्राम छमरोली में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि 25.400 हे० के फलस्वरूप 15.00 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जगह उपयुक्त पाई गई है।



(सुरेश सिंह नेगी)
वन बीट अधिकारी
सिल्ला प्रथम बीट



(मौ.जियाउल हक)
वन दरोगा
सिल्ला अनुभाग



(शिव प्रसाद गैरोला)
वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज



प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

परियोजना का नाम— उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला—जौलीग्रान्ट—ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेने चौड़ीकरण योजना के अधीन 39.6690 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्षतिपूरक वनीकरण योजना

स्थल का नाम—~~दमरोली~~सिविल में 15.00 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य की योजना एवं उनका 10 वर्षों तक रखरखाव करना।

जिला	प्रभाग	रेंज	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे० में)
देहरादून	मसूरी	मसूरी रेंज	सदर	दमरोली सिविल	15.00

वृक्षारोपण मॉडल एवं तकनीकी विवरण

की जाने वाली प्रजातियां :- जलवायु के अनुरूप स्थानीय स्वदेशी प्रजातियां

कार्यान्वयन एजेन्सी :- वन विभाग

समय :- प्रस्ताव में उच्च स्तर से विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त।

रोपण की विधि पौधालय में उगाई गई पौध को पहले से खोदे गए गड्डों में रोपित करना।

~~प्रतिहस्ताक्षरित~~
~~उप प्रभागीय वनाधिकारी~~
~~देहरादून मसूरी वन प्रभाग~~
~~मसूरी~~



प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी



वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

योजना का नाम—I—उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा II—उत्तराखण्ड राज्य के रा०रा०-73 (झाझरा के पास) को दिल्ली- देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोडी सैक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड़ का विकास कि०मी० 0.050 से कि०मी० 12.220 तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 7 (स्पर) के भानियावाला जौलीग्रान्ट, ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक चार लेन चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित योजना के अधीन 39.6690 हे० वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप रायपुर रेंज के अधीन ग्राम मखड़ेती में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि 14.6350 हे० के फलस्वरूप 10.00 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जगह उपयुक्त पाई गई है।


(सन्दीप सिंह)
वन बीट अधिकारी
राजपुर बीट


(मोहबत सिंह चौहान)
वन दरोगा
राजपुर अनुभाग


(राकेश नेगी)
वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज






प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

योजना का नाम—I—उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला—जौलीग्रान्ट—ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण तथा II—उत्तराखण्ड राज्य के रा०रा०—73 (झाझरा के पास) को दिल्ली— देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोडी सैक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड़ का विकास कि०मी० 0.050 से कि०मी० 12.220 तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या— 7 (स्पर) के भानियावाला जौलीग्रान्ट, ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक चार लेन चौड़ीकरण/सुदृढीकरण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित योजना के अधीन 39.6690 हे० वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप रायपुर रेंज के अधीन ग्राम द्वारा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि 15.474 हे० के फलस्वरूप क्रमशः 10.00 हे० एवं 5.00 हे० कुल 15.00 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जगह उपयुक्त पाई गई है।


(जसविन्दर कौर)
वन बीट अधिकारी
द्वारा बीट


(विरेन्द्र दत्त जोशी)
उप वन क्षेत्राधिकारी
द्वारा अनुभाग


(राकेश नेगी)
वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज






प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


क्षतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि की उपलब्धता एवं उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

योजना का नाम—उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित योजना के अधीन 39.6690 हे० वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप रायपुर रेंज के अधीन ग्राम द्वारा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि 15.474 हे० के फलस्वरूप क्रमशः 10.00 हे० एवं 5.00 हे० कुल 15.00 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08-08-2024 को किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान उक्त वर्णित क्षेत्र में बरसात के कारण कंटीली लैन्टाना झाड़ियां एवं अन्य घास उगी हुई है। जिस कारण DSS रिपोर्ट में क्षेत्र Moderate Dense आ रहा है। उक्त क्षेत्र में कंटीली लैन्टाना झाड़ियों आदि के उन्मूलन के पश्चात क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र उपयुक्त है।


(जसविन्दर कौर)
वन बीट अधिकारी
द्वारा बीट


(विरेन्द्र दत्त जोशी)
उप वन क्षेत्राधिकारी
द्वारा अनुभाग


(राकेश नेगी)
वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज


S. S. S. S.


प्रमाणित वनाधिकारी
भरतपुरी वन प्रयाग
भरतपुरी

परियोजना का नाम— उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला—जौलीग्रान्ट—ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेने चौड़ीकरण योजना के अधीन 39.6690 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्षतिपूरक वनीकरण योजना

स्थल का नाम—~~दमरौली~~सिविल में 15.00 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य की योजना एवं उनका 10 वर्षों तक रखरखाव करना।

ABSTRACT COST INVOLVED

वर्ष	कार्य का विवरण	धनराशि (रु०में)
प्रथम वर्ष	अग्रिम मृदा कार्य	1914740.00
द्वितीय वर्ष	रोपण कार्य	799130.00
तृतीय वर्ष	प्रथम वर्षीय अनुरक्षण	407400.00
चतुर्थ वर्ष	द्वितीय वर्षीय अनुरक्षण	301200.00
पंचम वर्ष	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण	189700.00
षष्ठम वर्ष	चतुर्थ वर्षीय अनुरक्षण	189700.00
सप्तम वर्ष	पंचम वर्षीय अनुरक्षण	189700.00
अष्टम वर्ष	षष्ठम वर्षीय अनुरक्षण	189700.00
नवम वर्ष	सप्तम वर्षीय अनुरक्षण	189700.00
दसम वर्ष	अष्टम वर्षीय अनुरक्षण	189700.00
एकादश वर्ष	नवम वर्षीय अनुरक्षण	189700.00
द्वादश वर्ष	दशम वर्षीय अनुरक्षण	189700.00
योग		4940070.00
Say		4940000.00


प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

परियोजना का नाम- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेने चौड़ीकरण योजना के अधीन 39.6690 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्षतिपूरक वनीकरण योजना

स्थल का नाम- **हमरोही** सिविल में 15.00 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य की योजना एवं उनका 10 वर्षों तक रखरखाव करना।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	ल०	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
प्रथम वर्ष - अग्रिम मृदा कार्य						
1	वृक्षारोपण क्षेत्र का सर्वेक्षण, सीमांकन एवं उपग्रह मानचित्र तैयार करना		15.00	प्रति हे०	238.00	3570.00
2	क्षेत्र में झाड़ी कटान करना व नष्ट करना		15.00	प्रति हे०	2518.00	37770.00
3	दो वर्ष पौध की कीमत 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित (प्रथम वर्ष)		16500	प्रति पौध	21.64	357060.00
4	गड्ढों का संरेखण एवं चिन्हीकरण (चूने की कीमत सहित)		16500	प्रति गड्ढा	0.70	11550.00
5	गड्ढे खुदान (0.30cm x0.30 cm x0.45 cm)		16500	प्रति गड्ढा	13.00	214500.00
6	कन्टूर फरों का समरेखण		1500	प्रति फर	1.37	2055.00
7	कन्टूर फरों का खुदान (अधिकतम 300 रनिंग मी० प्रति हे०)		1500	प्रति फर	132.00	198000.00
8	दीवाल बन्दी रनिंग मीटर - चौ०(0.60+0.45)/2 ऊ० 1.20 Mt.	1027	647.01	प्र०घ०मी०	742.00	480081.42
8	फेंसिंग कार्य करना- (प्राक्कलन संलग्न)			र०मी०	900.00	386190.00
9	वृक्षारोपण क्षेत्र की सम्पूर्ण परिधि में जैविक घेरबाड़ कार्य (3बल्ब प्र०मी०)		6162	प्रति बल्ब	2.49	15343.38
10	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य- (प्राक्कलन संलग्न)		15.00	प्रति हे०	11500.00	172500.00
11	निरीक्षण बटिया		15.00	प्रति हे०	1261.00	18915.00
12	अन्य प्रकीर्ण व्यय।		15.00	प्रति हे०	1152.00	17280.00
योग :- प्रथम वर्ष						1914814.80
या रू-						1914740.00
द्वितीय वर्ष - रोपण कार्य						
1	पौधों का रखरखाव 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित (द्वितीय वर्ष)		16500	प्रति पौध	3.30	54450.00
2	पौध दुलान मय 10 प्रतिशत दुलान में क्षतिपूर्ति सहित बैग पौध, लदाई व उतराई सहित		16500	प्रति पौध	13.67	225555.00
3	कन्टूर फरो में बीज बोना / कटिंग लगाना (बीज एकत्रीकरण करना तथा कटिंग दुलान सहित)		1500	प्रति फर	10	15000.00
4	कंकड़-पत्थर छानकर गड्ढों का खाद / कीटनाशक मिलाकर भरण करना		16500	प्रति गड्ढा	2.35	38775.00
5	कन्टूर फरों में खाद मिलाकर नाली को भूतल से 20 सेमी० ऊपर उठाकर भरण कर दबाना तथा जमाना		1500	प्रति फर	10	15000.00
6	पौध रोपण करना अच्छी प्रकार दबाना, अच्छी प्रकार थावला बनाना व रोपण क्षेत्र के अन्दर दुलान सहित		16500	प्रति पौध	4.42	72930.00
7	गड्ढों में रासायनिक खाद (25 ग्रा० प्रति गड्ढा) / जैविकखाद / जीवामृत / कीटनाशक दवा डालना मूल्य सहित		16500	प्रति पौध	1.55	25575.00
8	निराई-गुडाई व मल्लिंग होईंग प्रथम व द्वितीय एवं वर्मिकुलाइट, पैरालाइट, फार्मयार्ड, वर्मिकम्पोस्ट की कीमत		16500	प्रति पौध	10.81	178365.00
9	रखरखाव रोपण वर्ष में 9 माह एक श्रमिक कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर		9	प्रति माह	14826.00	133434.00
10	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		15	प्रति हे०	292	4380.00
11	अन्य प्रकीर्ण व्यय, जैसे-श्रमिकों तथा सामग्री हेतु छप्पर निर्माण, रोपण क्षेत्र का रख रखाव, प्रचार-प्रसार, बोरी, सुतली, साईन बोर्ड व औजार क्रय / मरम्मत, डाक्यूमेंटेशन / फोटोग्राफी आदि।		15	प्रति हे०	1958	29370.00
योग द्वितीय वर्ष :-						800259.00
या रू-						799130.00

प्रतिहस्ताक्षरित
उप-प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

क्र०सं०	कार्य का विवरण	ल०	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
तृतीय वर्ष – अनुरक्षण प्रथम वर्ष						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 हे० क्षेत्र को आधार मानकर)		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	निराई-गुडाई व मल्विंग कार्य एवं वर्मिकुलाइट, पैरालाइट, फार्मयार्ड, वर्मिकम्पोस्ट की कीमत		16500	प्रति षोडश	6.76	111540.00
3	क्षतिपूर्ति रोपण (Beating up)-क्षतिपूर्ति रोपण (10 प्रतिशत तक)					
i	पौध की कीमत		1650	प्रति षोडश	30.89	50968.5
ii	पौध का डुलान		1650	प्रति षोडश	13.67	22555.5
iii	गड़ढा खोदना, कीटनाशक मिलाकर भरान एवं थावालाबन्दी कर रोपण करना		1650	प्रति षोडश	19.77	32620.5
4	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		15	प्रति हे०	292	4380
योग प्रथम वर्षीय अनुरक्षण :-						407401.50
						या रू-
						407400.00
चतुर्थ वर्ष – अनुरक्षण द्वितीय वर्ष						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 हे० क्षेत्र को आधार मानकर)		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	निराई-गुडाई व मल्विंग कार्य		16500	प्रति षोडश	6.76	111540.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग द्वितीय वर्षीय अनुरक्षण :-						301257.00
						या रू-
						301260.00
पंचम वर्ष – अनुरक्षण तृतीय वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 हे० क्षेत्र को आधार मानकर)		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग तृतीय वर्षीय अनुरक्षण :-						189717.00
						या रू-
						189720.00
षष्ठम वर्ष – अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग चतुर्थ वर्षीय अनुरक्षण :-						189717.00
						या रू-
						189717.00

प्रतिहस्ताक्षरित
 उप प्रभागीय वनाधिकारी
 देहरादून मसूरी वन प्रभाग
 मसूरी


 प्रभागीय वनाधिकारी
 मसूरी वन प्रभाग
 मसूरी


 वन क्षेत्राधिकारी
 मसूरी रेंज
 मसूरी वन प्रभाग

क्र०सं०	कार्य का विवरण	ल०	मात्रा	इकाई	दर	घनराशि
सप्तम वर्ष – अनुरक्षण पंचम वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	अग्नि सुरक्षा कार्य—रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग पंचम वर्षीय अनुरक्षण :-						189717.00
या रू—						189700.00
अष्टम वर्ष – अनुरक्षण षष्ठम वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	अग्नि सुरक्षा कार्य—रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग षष्ठम वर्षीय अनुरक्षण :-						189717.00
या						189700.00
नवम वर्ष – अनुरक्षण सप्तम वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग सप्तम वर्षीय अनुरक्षण :-						189717.00
यु						189700.00
दशम वर्ष – अनुरक्षण अष्टम वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग अष्टम वर्षीय अनुरक्षण :-						189717.00
या						189700.00
एकादश वर्ष – अनुरक्षण नवम वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग अष्टम वर्षीय अनुरक्षण :-						189717.00
या						189700.00
द्वादश वर्ष – अनुरक्षण दशम वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग अष्टम वर्षीय अनुरक्षण :-						189717.00
या						189700.00
कुल योग—						4940070.00
या रू—						4940000.00

प्रतिहस्ताक्षरित

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

परियोजना का नाम- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेने चौड़ीकरण योजना के अधीन 39.6690 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्षतिपूरक वनीकरण योजना

स्थल का नाम-हमरोली सिविल में 15.00 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य की योजना एवं उनका 10 वर्षों तक रखरखाव करना।

भूमि एवं जल संरक्षण कार्यों का प्राक्कलन

S. N.	Discription	Nos	L	W	H/D	Qty.	Unit	Rate	Amount (Rs)
	आर०आर० ड्राई चैक डेम निर्माण कार्य-								
1	स्थल की सफाई करना एवं चिन्हीकरण कार्य	4 x 1	8.00	3.25		104.00	Sqm	38.00	3952.00
2	आर०आर०ड्राई चैक डेम निर्माण हेतु बुनियाद खुदान करना	4 x 1	7.00	1.25	0.50	17.50	cum	325.00	5687.50
3	आर०आर०ड्राई चैक डेम निर्माण हेतु पत्थरों की चिनाई करना								
	बुनियाद में	4 x 1	7.00	1.25	0.50	17.50	cum		
	सुपर स्ट्रक्चर प्रथम भाग में	4 x 1	7.60	$\frac{(1.0+0.75)}{2}$	1.20	33.74	cum		
	हेडवाल निर्माण	4 x 2	3.50	$\frac{(0.60+0.50)}{2}$	0.50	7.70	cum		
				Total		58.94	Sqm	1736.00	102319.84
	योग-								111959.34
2	गली प्लग निर्माण कार्य-								
1	गली प्लग निर्माण हेतु स्थल की सफाई करना	4 x 1	3.00	0.80		9.60	Sqm	38.00	365.00
2	गली प्लग निर्माण हेतु बुनियाद खुदान कार्य	4 x 1	2.00	0.60	0.30	1.44	cum	325.00	468.00
3	आर०आर० ड्राई पत्थरों की चिनाई कार्य-								
	बुनियाद में	4 x 1	2.00	0.60	0.30	1.44	cum		
	सुपर स्ट्रक्चर में	4 x 1	2.50	$\frac{(0.6+0.45)}{2}$	1.00	5.25	cum		
				Total		6.69	Sqm	1736.00	11613.84
	योग-								12446.84
	चालखाल निर्माण कार्य-								
1	चाल-खाल निर्माण हेतु स्थल की सफाई करना	5 x 1	6.00	5.00		150.00	Sqm	38.00	5700.00
2	चाल-खाल हेतु भूमि खुदान, कटान कार्य-								
	मिट्टी, पत्थर कटान कर स्थल समतलीकरण करना	5 x 1	5.00	4.00	$\frac{(0+0.9)}{2}$	32.50	cum		
	मिट्टी, पत्थर कटान कर गड्ढा खोदना	5 x 1	5.00	4.00	1.00	100.00	cum		
				Total		132.50	cum	325.00	43062.50
	योग-								48762.50
	कुल योग-								173168.68
	या रू०-								172500.00

Rate Analysis for one cum masonry, Devalsari Range, Mussoorie Forest Division Cartage of Stones from 1 Km. distance

1	कोरे पत्थरों की दीवाल चिनाई कार्य मय पत्थरों की कीमत								859.00
2	100 मीटर के बाद 500 मीटर तक	95%	31	x	1	x	20		589.00
3	500 मीटर के बाद	87%	16	x	1	x	20		278.40
							Total		1726.40

प्रतिदस्तावेजित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

परियोजना का नाम- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेने चौड़ीकरण योजना के अधीन 39.6690 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्षतिपूरक वनीकरण योजना

स्थल का नाम- हमरोली सिविल में 15.00 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य की योजना एवं उनका 10 वर्षों तक रखरखाव करना।

फेंसिंग कार्य का प्राक्कलन

S. N.	Discription	Nos	L	W	H/D	Qty.	Rate	Amount (Rs)
3	तारबाड कार्य करना- एंगल आयरन के साथ-					900 RM		
i	GI Barbed wire fencing with 2.10 m angle iron posts 50x50x5 mm placed every 3 meters center to center and provided with 3 horizontal and 2 diagonal interwoven wires, fixed with GI staples etc all complete.							
	Barbed wire fencing in 3 line	3	x	300	3.00	-	-	2700 RM
	2 diagonal	2	x	300	3.25	-	-	1950 RM
					Total			4650 RM
	Barbed wire @ 9.38 Kg per 100 meter (PWD SOR (2022-23) PM0034)					436.00 Kg	81.00 Per	35316.00
	2.10 m angle iron posts 50x50x5 mm (2.10 Mt. Pol, 3.94 kg. per meter.	301	x	1	2.10	-	-	2490.00 Kg
								65.00 Per
								161850.00
	Add for gl staple binding wire, drilling holes etc @ 2 percent of the cost of material.							3943.32
	Add cartage of wire and iron Posts (mechancial and Head load)							5000.00
	Total Item No. 1							206109.32
ii	एंगल गाड़ने हेतु गड़ढा खुदान कार्य करना	-	-	-	0.30	0.30	0.60	301 No
								10.56 Per
								3178.56
iii	गड़ढो में 1:4:8 सीमेंट कंक्रीट में एंगल आयरन ग्राट करना	301	x	1	0.30	0.30	0.60	16.25 Cum
								4623.60 Per
								75133.50
vi	पांच लड में कांटेदार तार खिंचना (03 क्षैतिक व 02 कास) कम संख्या 1 के अनुसार							4650 RM
								11.00 Per
								51150.00
	Total							335571.38
	Add GST @ 18% on item No. 1 & 3	206109		+	75133.50	=		281242.82
								50623.71
	Total							386195.09
	Or Say							386190.00

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

प्राक्कलन बावत जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 39.6690 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप 10.00 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य करना-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम- ग्राम मखड़ेती
प्रस्तावित वृक्षारोपण का क्षेत्रफल(है० मे)-10.00 है०
रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या- 1000 पौध प्रति है०

रायपुर रेंज

मसूरी वन प्रभाग


वर्ष 2024-25.

क्र०	कार्य विवरण	ईकाई/सं०	मात्रा	ईकाई दर	धनराशि
1	सर्वे सीमांकन	प्रति है०	10.00	238.00	2380.00
2	क्षेत्र की सफाई(लेन्टाना झाड़ी कटान आदि)	प्रति है०	10.00	6260.00	62600.00
3	अग्रिम दिवार बन्दी(फेन्सिंग) प्रति है० 94.50 घ०मी० औसत/तारबाड़	प्रति घ०मी० है०	10.00	64354.00	643540.00
4	कंटूर फरों का संरेखण कार्य	प्रति फर	1000	1.37	1370.00
5	कंटूर फर कार्य(प्रति है० 300 र.मी.) का खुदान	प्रति फर	1000	132.00	132000.00
6	गड्डों का संरेखण एवं चिन्हीकरण चूने की कीमत सहित	प्रति गड्डा	10000	0.70	7000.00
7	अग्रिम मृदा कार्य(0.30x0.30x0.45) गड्डा खुदान	प्रति गड्डा	10000	13.00	130000.00
8	निरीक्षण बटिया बनाना	प्रति है०	10.00	1261.00	12610.00
9	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	प्रति पौध	10000	21.64	216400.00
10	अन्य व्यय जैसे यन्त्र सयन्त्र औजार तेज करना	प्रति है०	10.00	1152.00	11520.00
11	वृक्षारोपण क्षेत्र की सम्पूर्ण परिधि में जैविक घेरबाड़ कार्य तीन बल्ब प्र०मी०	प्रति सै० बल्ब	4500	1082.00	48690.00
12	जल एवं मृदा संरक्षण कार्य:- प्रति है०/सं०	सं०	88	LS	1012000.00
योग प्रथम चरण-					2280110.00
द्वितीय वर्ष-					
1	गड्डा भरान कार्य(0.30x0.30x0.45)	प्रति गड्डा	10000	2.35	23500.00
2	कंटूर फरों में बीज बुआई(प्रति है०)	प्रति फर	1000	10.00	10000.00
3	पौधों का रख रखाव(द्वितीय वर्ष)	प्रति पौध	10000	4.14	41400.00
4	पौध ढुलान वाहन से 30.00 कि०मी० दूरी से	प्र०सै०पौ०	10000	357.50	35750.00
5	पौध ढुलान सिरबोझ	प्र०सै०पौ०	10000	260.00	26000.00
6	पौध रोपण थावला बन्दी	प्रति पौध	10000	4.42	44200.00
7	निराई गुड़ाई व मलचिंग(दो बार)	प्रति पौध	10000	10.81	108100.00
8	खाद व दवा पर व्यय	प्रति पौध	10000	1.55	15500.00
9	देख रेख व रख रखाव रोपण वर्ष में 9 माह कम से कम 10 है०/-	प्रति माह 01 श्रमिक	9	9884.00	88956.00
10	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 5 मीटर की पट्टी साफ करना	प्रति है०	10.00	787.00	7870.00
11	अन्य व्यय साईन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी सुतली, बोरी आदि कय करना वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय करना वर्ष में दो-तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों का प्रचार प्रसार एवं डोक्यूमेंट्स	प्रति है०	10.00	1958.00	19580.00
योग द्वितीय चरण-					420856.00
कुल योग प्रथम व द्वितीय चरण-					2700966.00

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


-तृतीय वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य एवं वर्मिकुलाइट, पैरालाईट, फार्मयाईड, वर्मिकम्पोस्ट की कीमत	प्रति पौध	10000	6.76	67600.00
3	क्षतिपूरक रोपण बीटिंग अप				
i	पौध की कीमत	प्रति पौध	10000	30.89	308900.00
ii	पौध का ढुलान	प्रति पौध	10000	13.67	136700.00
iii	गड़्ढा खोदना, कीटनाशक मिलाकर भरान एवं थावलाबन्दी कर रोपण करना	प्रति पौध	10000	19.77	197700.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
योग तृतीय चरण-			-	-	837378.00
-चतुर्थ वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
3	निराई गुड़ाई व मलचिंग(दो बार)	प्रति पौध	10000	6.76	67600.00
योग चतुर्थ चरण-			-	-	194078.00
-पंचम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
योग पंचम चरण-			-	-	126478.00
-छठा वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
योग छठा चरण-			-	-	126478.00
-सप्तम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
योग सप्तम चरण-			-	-	126478.00
-अष्टम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठा वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
योग अष्टम चरण-			-	-	126478.00
-नवम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
योग नवम चरण-			-	-	126478.00
-दशम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
योग दशम चरण-			-	-	126478.00
				कुल योग-	4491290.00
				या-	4487910.00

प्राक्कलन तैयार कर महोदय की सेवा में प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
वेहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
मसूरी वन प्रभाग


(मोहन सिंह चौहान)
वन दरोगा

प्राक्कलन बावत जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 39.6690 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप 10.00 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य करना-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम- ग्राम द्वारा

प्रस्तावित वृक्षारोपण का क्षेत्रफल(है० में)-10.00 है०

रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या- 1000 पौध प्रति है०

रायपुर रेंज

मसूरी वन प्रभाग


वर्ष 2024-25.

क्र०	कार्य विवरण	ईकाई/सं०	मात्रा	ईकाई दर	घनराशि
1	सर्वे सीमांकन	प्रति है०	10.00	238.00	2380.00
2	क्षेत्र की सफाई(लैन्टाना झाड़ी कटान आदि)	प्रति है०	10.00	6260.00	62600.00
3	अग्रिम दिवार बन्दी(फेन्सिंग) प्रति है० 94.50 घ०मी० औसत/तारबाड़	प्रति घ०मी० है०	10.00	64354.00	643540.00
4	कंटूर फरों का संरेखण कार्य	प्रति फर	1000	1.37	1370.00
5	कंटूर फर कार्य(प्रति है० 300 र.मी.) का खुदान	प्रति फर	1000	132.00	132000.00
6	गड्डों का संरेखण एवं चिन्हीकरण चूने की कीमत सहित	प्रति गड्डा	10000	0.70	7000.00
7	अग्रिम मृदा कार्य(0.30x0.30x0.45) गड्डा खुदान	प्रति गड्डा	10000	13.00	130000.00
8	निरीक्षण बटिया बनाना	प्रति है०	10.00	1261.00	12610.00
9	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	प्रति पौध	10000	21.64	216400.00
10	अन्य व्यय जैसे यन्त्र सयन्त्र औजार तेज करना	प्रति है०	10.00	1152.00	11520.00
11	वृक्षारोपण क्षेत्र की सम्पूर्ण परिधि में जैविक घेरबाड़ कार्य तीन बल्ब प्र०मी०	प्रति सै० बल्ब	4500	1082.00	48690.00
12	जल एवं मृदा संरक्षण कार्य:- प्रति है०/सं०	सं०	88	L.S	1012000.00
योग प्रथम चरण-					2280110.00
द्वितीय वर्ष-					
1	गड्डा भरान कार्य(0.30x0.30x0.45)	प्रति गड्डा	10000	2.35	23500.00
2	कंटूर फरों में बीज बुआई(प्रति है०)	प्रति फर	1000	10.00	10000.00
3	पौधों का रख रखाव(द्वितीय वर्ष)	प्रति पौध	10000	4.14	41400.00
4	पौध ढुलान वाहन से 30.00 कि०मी० दूरी से	प्र०सै०पौ०	10000	357.50	35750.00
5	पौध ढुलान सिरबोझ	प्र०सै०पौ०	10000	260.00	26000.00
6	पौध रोपण थावला बन्दी	प्रति पौध	10000	4.42	44200.00
7	निराई गुड़ाई व मलचिंग(दो बार)	प्रति पौध	10000	10.81	108100.00
8	खाद व दवा पर व्यय	प्रति पौध	10000	1.55	15500.00
9	देख रेख व रख रखाव रोपण वर्ष में 9 माह कम से कम 10 है०/-	प्रति माह 01 श्रमिक	9	9884.00	88956.00
10	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 5 मीटर की पट्टी साफ करना	प्रति है०	10.00	787.00	7870.00
11	अन्य व्यय साईन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी सुतली, बोरी आदि कय करना वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय करना वर्ष में दो-तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों का प्रचार प्रसार एवं डोक्यूमेंट्स	प्रति है०	10.00	1958.00	19580.00
योग द्वितीय चरण-					420856.00
कुल योग प्रथम व द्वितीय चरण-					2700966.00

-तृतीय वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य एवं वर्मिकुलाइट, पैरालाईट, फार्मयार्ड, वर्मिकम्पोस्ट की कीमत	प्रति पौध	10000	6.76	67600.00
3	क्षतिपूरक रोपण बीटिंग अप				
i	पौध की कीमत	प्रति पौध	10000	30.89	308900.00
ii	पौध का ढुलान	प्रति पौध	10000	13.67	136700.00
iii	गड़ढा खोदना, कीटनाशक मिलाकर भरण एवं थावलाबन्दी कर रोपण करना	प्रति पौध	10000	19.77	197700.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
योग तृतीय चरण-			-	-	837378.00
-चतुर्थ वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
3	निराई गुड़ाई व मलचिंग(दो बार)	प्रति पौध	10000	6.76	67600.00
योग चतुर्थ चरण-			-	-	194078.00
-पंचम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
योग पंचम चरण-			-	-	126478.00
-छठा वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
योग छठा चरण-			-	-	126478.00
-सप्तम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
योग सप्तम चरण-			-	-	126478.00
-अष्टम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठा वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
योग अष्टम चरण-			-	-	126478.00
-नवम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
योग नवम चरण-			-	-	126478.00
-दशम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
योग दशम चरण-			-	-	126478.00
				कुल योग-	4491290.00
				या-	4487910.00

प्राक्कलन तैयार कर महोदय की सेवा में प्रेषित।


वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
मसूरी वन प्रभाग


(विरेंद्र दत्त जोशी)
उप राजिक


प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

प्राक्कलन बावत जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 39.6690है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप 5.00 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य करना-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम- ग्राम द्वारा

प्रस्तावित वृक्षारोपण का क्षेत्रफल(है० में)-5.00है०

रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या- 1000 पौध प्रति है०

रायपुर रेंज

मसूरी वन प्रभाग


वर्ष 2024-25.

क्र०	कार्य विवरण	ईकाई/सं०	मात्रा	ईकाई दर	धनराशि
1	सर्वे सीमांकन	प्रति है०	5.00	238.00	1190.00
2	क्षेत्र की सफाई(लैन्टाना झाड़ी कटान आदि)	प्रति है०	5.00	6260.00	31300.00
3	अग्रिम दिवार बन्दी(फेन्सिंग) प्रति है० 94.50 घ०मी० औसत/तारबाड़	प्रति घ०मी० है०	5.00	64354.00	321770.00
4	कंटूर फरों का संरेखण कार्य	प्रति फर	500	1.37	685.00
5	कंटूर फर कार्य(प्रति है० 300 र.मी.) का खुदान	प्रति फर	500	132.00	66000.00
6	गड्डों का संरेखण एवं चिन्हीकरण चूने की कीमत सहित	प्रति गड्डा	5000	0.70	3500.00
7	अग्रिम मृदा कार्य(0.30x0.30x0.45) गड्डा खुदान	प्रति गड्डा	5000	13.00	65000.00
8	निरीक्षण बटिया बनाना	प्रति है०	5.00	1261.00	6305.00
9	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	प्रति पौध	5000	21.64	108200.00
10	अन्य व्यय जैसे यन्त्र सयन्त्र औजार तेज करना	प्रति है०	5.00	1152.00	5760.00
11	वृक्षारोपण क्षेत्र की सम्पूर्ण परिधि में जैविक घेरबाड़ कार्य तीन बल्ब प्र०मी०	प्रति सै० बल्ब	2250	1082.00	24345.00
12	जल एवं मृदा संरक्षण कार्य:- प्रति है०/सं०	सं०	44	L.S	505000.00
योग प्रथम चरण-					1139055.00
द्वितीय वर्ष-					
1	गड्डा भरान कार्य(0.30x0.30x0.45)	प्रति गड्डा	5000	2.35	11750.00
2	कंटूर फरों में बीज बुआई(प्रति है०)	प्रति फर	500	10.00	5000.00
3	पौधों का रख रखाव(द्वितीय वर्ष)	प्रति पौध	5000	4.14	20700.00
4	पौध डुलान वाहन से 30.00 कि०मी० दूरी से	प्र०सै०पौ०	5000	357.50	17875.00
5	पौध डुलान सिरबोझ	प्र०सै०पौ०	5000	260.00	13000.00
6	पौध रोपण थावला बन्दी	प्रति पौध	5000	4.42	22100.00
7	निराई गुड़ाई व मलचिंग(दो बार)	प्रति पौध	5000	10.81	54050.00
8	खाद व दवा पर व्यय	प्रति पौध	5000	1.55	7750.00
9	देख रेख व रख रखाव रोपण वर्ष में 9 माह कम से कम 10 है०/-	प्रति माह 01 श्रमिक	9	4942.00	44478.00
10	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 5 मीटर की पट्टी साफ करना	प्रति है०	5.00	787.00	3935.00
11	अन्य व्यय साईन बोर्ड पौध डुलान हेतु टोकरी सुतली, बोरी आदि क्रय करना वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय करना वर्ष में दो-तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों का प्रचार प्रसार एवं डोक्यूमेंट्स	प्रति है०	5.00	1958.00	9790.00
योग द्वितीय चरण-					210428.00
कुल योग प्रथम व द्वितीय चरण-					1349483.00


-तृतीय वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	4942.00	59304.00
2	निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य एवं वर्मिकुलाइट, पैरालाईट, फार्मयार्ड, वर्मिकम्पोस्ट की कीमत	प्रति पौध	5000	6.76	33800.00
3	क्षतिपूरक रोपण बीटिंग अप				
i	पौध की कीमत	प्रति पौध	5000	30.89	154450.00
ii	पौध का दुलान	प्रति पौध	5000	13.67	68350.00
iii	गड़ढा खोदना, कीटनाशक मिलाकर भरण एवं थावलाबन्दी कर रोपण करना	प्रति पौध	5000	19.77	98850.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	5.00	787.00	3935.00
योग तृतीय चरण-			-	-	418689.00
-चतुर्थ वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	4942.00	59304.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	5.00	787.00	3935.00
3	निराई गुड़ाई व मलचिंग(दो बार)	प्रति पौध	5000	6.76	33800.00
योग चतुर्थ चरण-			-	-	97039.00
-पंचम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	4942.00	59304.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	5.00	787.00	3935.00
योग पंचम चरण-			-	-	63239.00
-छठा वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	4942.00	59304.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	5.00	787.00	3935.00
योग छठा चरण-			-	-	63239.00
-सप्तम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	4942.00	59304.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	5.00	787.00	3935.00
योग सप्तम चरण-			-	-	63239.00
-अष्टम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठा वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	4942.00	59304.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	5.00	787.00	3935.00
योग अष्टम चरण-			-	-	63239.00
-नवम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	4942.00	59304.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	5.00	787.00	3935.00
योग नवम चरण-			-	-	63239.00
-दशम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	4942.00	59304.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	5.00	787.00	3935.00
योग दशम चरण-			-	-	63239.00
				कुल योग-	2244645.00
				या-	2243955.00

प्राक्कलन तैयार कर महोदय की सेवा में प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
मसूरी वन प्रभाग


(विरेन्द्र दत्त जोशी)
उप राजिक

खाता विवरण (प्रमाणित प्रति)



ग्राम का नाम : छमरोली

परगना : परवाडून

तहसील : देहरादून

जनपद : देहरादून

फसली वर्ष : 1425-1430

भाग : 1

खाता संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार का वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान (रुपये में)	आदेश	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 5-3-ख / ऐसे वन जिसमें अन्य प्रकार के वृक्ष, झाड़ियों के झुण्ड, झाड़ियाँ इत्यादि हों।							
00080	जंगल झाड़ी		283	34.5070		कार्यालय जिलाधारी दे.दून, संख्या 206/12ए-09(2023-2026) डी.एल.आर.सी. दिनांक 13 जून 2024 एवं तहसीलदार दे.दून के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 19.06.2024 के अनुसार मकडेती के खसरा नम्बर 5क रकबा 3.0920 है0 श्रेणी 5-3-ख-1 जंगल झाड़ी जो वन विभाग के प्रबन्ध में हो, ग्राम मकडेती के खसरा नम्बर 5क रकबा 3.0920 है0 श्रेणी 5-3-ख-1 जंगल झाड़ी जो वन विभाग के प्रबन्ध में हो, ग्राम मकडेती के ख0न0 5 ड रकबा 2.3050 है0, ख0न0 21 रकबा 0.1650 है0, ख0न0 167घ रकबा 5.5110 है0, ख0न0 168 रकबा 0.4600 है0, ख0न0 170ख रकबा 1.0790 है0, श्रेणी 6-4 ढाग जो अन्य कारणों से अकृषिक हो, ग्राम मकडेती के ख0न0 182/4क रकबा 2.0230 है0 श्रेणी 5-3-ख-1 जंगल झाड़ी जो वन विभाग के प्रबन्ध में हो, ग्राम छमरोली के खसरा नम्बर 283 रकबा 25.4000 है0 श्रेणी 5-3-ख-1 जंगल झाड़ी जो वन विभाग के प्रबन्ध में हो, ग्राम द्वारा के खसरा नम्बर 909 रकबा 3.8300 है0, ख0न0 2092क रकबा 5.9380 है0 ख0न0 2091 रकबा 0.1740 है0, ख0न0 607 रकबा 1.3510 है0, ख0न0 614मि रकबा 4.1810 है0 कुल रकबा 15.474 है0 श्रेणी 5-3-ख-2 ग्राम समाजों में निहित जंगल साल ग्राम समाज, कुल रकबा 55.509 है0 भूमि जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला जौलीग्रान्ट ऋषिकेश किमी 0.000 से किमी 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण एवं उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0-72 (झाझरा के पास) को दिल्ली- देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोडी सेक्शन के पास से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कार्य कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक निर्माण में आने वाली 39.9194 है0 वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग उत्तराखण्ड शासन को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार आवंटित / हस्तान्तरित किया जाता है, 1- भूमि का हस्तांतरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा। वन मामलों में भूमि के नजराना मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण की जा	
योग			2	44.5500	0.00		





खाता संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार का वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान (रुपये में)	आदेश	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 5-3-ख / ऐसे वन जिसमें अन्य प्रकार के वृक्ष, झाड़ियों केसुण्ड, झाड़ियाँ इत्यादि हों।							
			408ख	10.0430		<p>रही है, वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो, तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तांतरण किया जाये जितना कार्य विशेष के लिए आवश्यक हो। 3- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नहीं होनी चाहिए। 4- यदि भूमि वन विभाग की रक्षित भूमि हो, तो वह हस्तांतरण के बाद भी रक्षित वन भूमि बनी रहेगी। रक्षित वन भूमि के हस्तांतरण से सम्बन्धित ग्राम वासियों की कोई आपत्ति न हो और हस्तांतरित भूमि के उपयोग करने में साथ में लगी हुई वन भूमि और वन सम्पदा को कोई हानि नहीं करायी जायेगी। 5- वन विभाग दूसरे सेवा विभाग से हस्तांतरित भूमि का कोई मूल्य नहीं लेगा, लेकिन यदि उस भूमि पर पेड़ इत्यादि अन्य वन सम्पदा हो तो प्राप्त कर्ता विभाग द्वारा वन विभाग की उक्त वन सम्पदा का मूल्य भुगतान करना होगा। 6- हस्तांतरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है तो याचक विभाग द्वारा पुनः आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि हस्तांतरित भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षों तक हस्तांतरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग (राजस्व विभाग) को वापस करना होगा। 7- यह आदेश मा० उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा तथा याचक विभाग को निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। 8- उत्तराखण्ड राज्य में स्थित सरकारी भूमि उक्त प्रयोजन हेतु निःशुल्क भूमि हस्तांतरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि पर जिस राजकीय विभाग का स्वामित्व है, उसकी सहमति / अनापत्ति लिखित रूप से प्राप्त कर ली जाये। परवाने से,</p> <p>कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के पत्र सं. 579/12ए-49/ डी०एल०आर०सी०-(2023-2026) दिनांक 31 जनवरी, 2026 व तहसीलदार सदर देहरादून के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 11.02.2026 के अनुसार उप जिलाधिकारी, सदर से उपरोक्तानुसार प्राप्त आख्या/प्रस्ताव दिनांक 17.11.2025 एवं उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के पत्र दिनांक 28.01.2026 के क्रम में पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या 206/12ए-09 (2023-2026) डी०एल०आर०सी० दिनांक 13 जून 2024 को निरस्त करते हुये 'शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002, शासनादेश संख्या-111/XXVII (7) /50(39)-2015/2014 दिनांक 09 जुलाई 2015, शासनादेश संख्या-1887/XVIII(II)/2015.18 (169)/2015 दिनांक 30 जुलाई 2015, शासनादेश संख्या-496/XVIII (II)/2020-08 (63)/2016 दिनांक 28 जुलाई 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार/शर्तानुसार ग्राम जनपद देहरादून तहसील देहरादून के ग्राम छमरोली के खाता सं. 80 के खसरा नम्बर 283 रकबा 25.4000 है।</p>	
योग			2	44.5500	0.00		




खाता संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार का वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान (रुपये में)	आदेश	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 5-3-ख / ऐसे वन जिसमें अन्य प्रकार के वृक्ष, झाड़ियों केडुण्ड, झाड़ियाँ इत्यादि हों।							
						ग्राम मकडेती के खाता संख्या 57 ख.न. 5ड रकबा 2.3050 है. में से रकबा 0.9670 है. ख.न. 167घ रकबा 5.5110 है. में से रकबा 5.4710 है. ख.न० 168 रकबा 0.4600 है. ख०न० 170ख रकबा 1.0790 है. एवं खाता सं. 49 खसरा नं. 182/4क रकबा 2.0230 है. ग्राम द्वारा के खाता संख्या 00345, खसरा नम्बर 909 रकबा 3.8300 है. ख०न० 2092क रकबा 5.9380 है. ख०न० 2091 रकबा 0.1740 है०. ख०न० 607 रकबा 1.3510 है० में से 1.0580 है. एवं ख०न० 614मि रकबा 4.1810 है० में से 4.0000 है० कुल रकबा 40.0000 है० भूमि उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (NHAI) (स्पर) भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 20.600 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निर्धारित शर्तों के अनुसार हस्तान्तरित किया जाना है. परवाने से कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के आदेश सं. 594/12ए-49/डी०एल०आर०सी०-(2023-2026) दिनांक 20 फरवरी, 2026 के अनुसार जिलाधिकारी देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या 579/12ए-49/डी०एल०आर०सी०-(2023-2026) दिनांक 31 जनवरी, 2026 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जिला देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (NHAI) (स्पर) भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 20.600 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के सापेक्ष कुल रकबा 40.0000 हे० भूमि सिविल सोयम भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित की गयी है उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये जनपद देहरादून तहसील देहरादून के ग्राम छमरोली के खाता सं. 80 के खसरा नं. 283 रकबा 25.4000 है० में से 15.0000 है. भूमि सिविल सोयम भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित की जाती है.शेष आदेश यथावत रहेगा.(कार्यालय आदेश)	
योग			2	44.5500	0.00		

Data Digitally Signed by : PREM PRAKASH

यह खसरा खतौनी राजस्व विभाग के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा तैयार की गयी है।

इस खतौनी की प्रमाणिकता क्यू.आर. कोड से की जा सकती है।

उपरोक्त खसरा खतौनी का वेरिफिकेशन Uttarakhand Bhulekh Website (ebhulekh.uk.gov.in) पर जाकर किया जा सकता है।



*** खतौनी का विवरण समाप्त ***



प्रमाणित